



The Chhattisgarh State Industrial Security Force Act, 2025

Act No. 15 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 मई 2025 — वैशाख 30, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मई 2025

क्रमांक 4206/डी. 67/21-अ/प्रास्./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 08-05-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 15 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2025.

विषय-सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.
3. बल का गठन.
4. नामांकित सदस्यों की बल में प्रतिनियुक्ति
5. बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र.
6. बल का अधीक्षण/पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रशासन.
7. बल के सदस्यों के कर्तव्य.
8. बल का परिनियोजन.
9. वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.
10. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.
11. गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.
12. औद्योगिक स्थापनों को सुरक्षा संबंधी तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.
13. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.
14. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
15. अपराधों का संज्ञान.
16. बल के सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर समझा जाना तथा राज्य में तथा राज्य के बाहर कहीं भी नियोजित किया जा सकना.
17. दण्ड और अपीलें.
18. संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्वहन.
19. नितंवन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व.
20. बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण.
21. बल के सदस्यों को अधिनियम, 1922 का लागू होना.

22. छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968, नियम/शर्तों का बल के सदस्यों को लागू होना.
23. कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना.
24. नियम बनाने की शक्ति.
25. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2025.

औद्योगिक स्थापनाओं, औद्योगिक उपक्रमों, निजी औद्योगिक उपक्रमों या संस्थाओं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं, विद्युत् उत्पादन केन्द्रों, रिफायनरियों, धार्मिक महत्व के स्थानों, पुरातात्विक और विरासत स्थलों, हवाई अड्डों और हैलीपैडों, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों, शासकीय भवनों, मेट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकायों, शासकीय संस्थापनाओं, केन्द्रीय तथा राज्य की संस्थाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को सुरक्षा संबंधी तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये राज्य के एक सशस्त्र बल का गठन करने तथा उसका विनियमन करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत के गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधायिका द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, विस्तार और प्रारंभ. 2025 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "स्वशासी निकाय" से अभिप्रेत है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अथवा उस प्रकार कार्य करने की स्वतंत्रता रखने वाली कोई संस्था;

(ख) "संज्ञेय अपराध" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं.46) की धारा 2 के खण्ड (छ) में इसके समनुदेशित है;

(ग) "पुलिस महानिदेशक" से अभिप्रेत है पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़;

- (घ) "बल का भर्ती किया गया सदस्य" से अभिप्रेत है अवर अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का, बल का कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या कोई अन्य सदस्य;
- (ङ) "बल" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल;
- (च) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (छ) "औद्योगिक स्थापना" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3 के अधीन यथापरिभाषित कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म, जो कि किसी उद्योग या किसी व्यापार, कारोबार या सेवा में लगी हुई है;
- (ज) "औद्योगिक उपक्रम" से अभिप्रेत है किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित कोई उपक्रम और इसमें सम्मिलित है कोई उपक्रम, जो किसी ऐसे अन्य उद्योग या किसी व्यापार, कारोबार या सेवा में लगा है, जो कि संसद या राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किए जा सकते हों;
- (झ) "सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो,-
- (एक) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी द्वारा;
- (दो) राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी ऐसे निगम द्वारा, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित हो तथा जिसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता हो, धारित, नियंत्रित हो अथवा उनके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो।
- (ज) "संयुक्त उपक्रम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी निजी औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से हाथ में लिया गया कोई उपक्रम;
- (ट) "किसी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में "प्रबंध निदेशक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति (चाहे वह प्रबंध अभिकर्ता, महाप्रबंधक, प्रबंधक, मुख्य

- कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) जिसका उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण हो;
- (ठ) "बल का सदस्य" से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (ड) "परिनियोजन का स्थान" से अभिप्रेत है औद्योगिक स्थापनाएं, औद्योगिक उपक्रम, निजी औद्योगिक उपक्रम या संस्थाएं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाएं, विद्युत् उत्पादन केन्द्र, पारेषण और वितरण कंपनी, रिफायनरी, धार्मिक महत्व के स्थान, पुरातात्विक और विरासत स्थल, हवाई अड्डे व हेलीपैड, राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग, सरकारी भवन, मैट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकाय, केन्द्र और राज्य की संस्थाएं, सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन इत्यादि, जिनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बल को परिनियोजित किया जा सकेगा;
- (ढ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,
- (ण) "निजी औद्योगिक उपक्रम" से अभिप्रेत है कोई ऐसा उद्योग, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित, नियंत्रित हो या उसके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो या सार्वजनिक क्षेत्र में का, कोई औद्योगिक उपक्रम;
- (त) "अनुसूचित उद्योग" से अभिप्रेत है उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई उद्योग;
- (थ) "सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन" से अभिप्रेत है विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त ऐसे अत्यावश्यक और अति संवेदनशील स्थल अथवा क्षेत्र जिन्हें कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (द) "अधीनस्थ अधिकारी" से अभिप्रेत है कंपनी कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डर या सहायक प्लाटून कमाण्डर के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (घ) "पर्यवेक्षण अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी और इसमें सम्मिलित है बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी;

- (न) "अवर अधिकारी" से अभिप्रेत है प्रधान आरक्षक या आरक्षक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (प) "भर्ती" से अभिप्रेत है प्रतिनियुक्ति पर बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति।

3. (1) राज्य सरकार द्वारा, परिनियोजन के स्थान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से ज्ञात एक सशस्त्र बल राज्य शासन द्वारा गठित और संधारित किया जाएगा।

बल का गठन.

राज्य शासन या इस सम्बन्ध में शासन द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल को दलों में विभक्त कर सकेगा,
- (ख) प्रत्येक दल को बटालियनों में और प्रत्येक बटालियन को कम्पनियों में तथा प्रत्येक कम्पनी को प्लाटूनों में और प्लाटूनों को अनुभागों में विभक्त कर सकेगा,
- (ग) किसी भी दल, बटालियन, कम्पनी, प्लाटून या अनुभाग को ऐसे स्थानों में नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी को उचित प्रतीत हों।
- (2) बल में उतने पर्यवेक्षण अधिकारी अंतर्दिष्ट होंगे जितने की विहित किए जाएं और वे ऐसा वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो कि विहित किया जाए:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों को लागू नहीं होगी।

- (3) बल का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. (1) इस अधिनियम या छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 (क्रमांक 29 सन् 1968) एवं छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, राज्य

नामांकित सदस्यों की बल में

प्रतिनियुक्ति.

शासन या पुलिस महानिदेशक यदि इस सम्बन्ध में उसे राज्य शासन द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किया जाये, छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 (क्रमांक 29 सन् 1968) एवं छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) के अन्तर्गत नियुक्त छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में करने के लिये सक्षम होगा।

- (2) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पद (सेटअप) से अधिक बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी।
- (3) बल के किसी भी सदस्य को कभी भी बगैर कारण बताये अपनी मूल इकाई में वापस किया जा सकेगा।

बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र.

5. (1) बल का भर्ती किया गया प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति पर, विहित प्रारूप में पुलिस महानिदेशक अथवा ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा से, जिसे कि पुलिस महानिदेशक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसकी नियुक्ति का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले व्यक्ति में बल में भर्ती किए गए सदस्य की शक्तियां निहित हो जाएंगी।
- (2) ऐसे प्रमाण-पत्र का उस स्थिति में स्वतः ही अवसान हो जाएगा जबकि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह जारी किया गया हो, किसी भी कारण से बल का भर्ती किया गया सदस्य नहीं रह जाता है।

बल का अधीक्षण/ पर्यवेक्षण तथा प्रशासन.

6. (1) पुलिस महानिदेशक, सरकार के सर्वोपरि नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए बल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा. वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो कि विहित किया जाएं।
- (2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए बल का प्रशासन, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसी कि विहित की जाएं, विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा कमान्डेंट, डिप्टी कमान्डेंट, और असिस्टेंट कमान्डेंट द्वारा अधिनियम तथा उसके अध्वधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और राज्य में बल के परिनियोजन के स्थानों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर कार्य करेगा, जो कि विहित किए जाएं और ऐसे निदेशों के अध्वधीन रहते

हुए, जैसे के सरकार अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अपने कृत्यों का निर्वहन, परिनियोजन के ऐसे स्थान के भारसाधक प्राधिकारी के साथ सामंजस्य बना कर करेगा।

- (3) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक तथा ऐसे अन्य अधिकारियों को, जो कि असिस्टेंट कमान्डेंट से अनिम्न पंक्ति का हो पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो कि विहित किए जाएं।

7. बल के प्रत्येक अधिकारी तथा सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह, -

बल के सदस्यों के कर्तव्य.

- (एक) अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए समस्त विधिपूर्ण आदेशों का पालन तथा निष्पादन करे;
- (दो) परिनियोजन के स्थान तथा उससे संलग्न किन्हीं संस्थापनों के परिसरों, उनकी स्थापनाओं तथा आस्तियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा करना;
- (तीन) खण्ड (दो) में यथाविनिर्दिष्ट परिनियोजन के स्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा करना;
- (चार) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट परिनियोजन के स्थान तथा खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के संरक्षण तथा सुरक्षा में सहायक कोई अन्य कार्य करना;
- (पांच) परिनियोजन के स्थान और उसके आसपास कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण स्थानीय पुलिस बल को, उसके आने पर सहयोग और सहायता प्रदान करना।

8. (1) सरकार के किन्हीं सामान्य निदेशों और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाएं, बल के प्रभारों की वसूली के अध्यक्षीन रहते हुए, पुलिस महानिदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह परिनियोजन के स्थान के भारसाधक प्राधिकारी से, उसकी आवश्यकता को दर्शाते हुए, इस निमित्त अनुरोध प्राप्त होने पर, उतनी संख्या में, जितनी कि पुलिस महानिदेशक उसके तथा उससे संलग्न किन्हीं संस्थापनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे, बल के सदस्यों को परिनियोजित कर सकेगा और इस प्रकार परिनियोजित बल का सदस्य पुलिस महानिदेशक अथवा उसके निमित्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी के अधिकार के अधीन रहेगा:

बल का परिनियोजन.

परन्तु उस दशा में, जहां कि कोई स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, उपक्रम, सामरिक महत्व के या अत्यावश्यक संस्थापन किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता हो, जिसमें कि राज्य सरकार का कोई हित न हो, वहां सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (2) यदि पुलिस महानिदेशक का यह मत है कि उप-धारा (1) के अधीन परिनियोजन के किसी स्थान के सम्बन्ध में बल के सदस्यों के परिनियोजन की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, तो संबंधित उपक्रम को 01 माह पूर्व सूचना देकर वह इस प्रकार परिनियोजित बल के सदस्यों को वापस बुला सकेगा।
- (3) बल का प्रत्येक सदस्य, जब वह अपनी परिनियोजन की कालावधि के दौरान किसी ऐसी स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, उपक्रम, सामरिक महत्व के अथवा अत्यावश्यक संस्थापनों में अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हो अथवा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता हो, जिसमें सरकार का कोई हित न हो, इस अधिनियम के अधीन उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन रहेगा जिनके अधीन वह तब होता जबकि वह सरकार की किसी स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय और औद्योगिक उपक्रम अथवा सामरिक महत्व के तथा अत्यावश्यक संस्थापनों के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता।

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.

9. (1) बल का कोई भी सदस्य वारन्ट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा,-

(एक) जो धारा 7 के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति, किसी कर्मचारी या अधिकारी को या उसे या बल के किसी अन्य सदस्य को उसके ऐसे कर्मचारी के रूप में कर्तव्य के निर्वहन में या ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य के निष्पादन में, या उसे ऐसे सदस्य के रूप में कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या भयभीत करने के आशय से या उसे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन के परिणामस्वरूप किसी कार्य को करने अथवा करने का प्रयास करने में स्वेच्छया उपहति कारित करता है या स्वेच्छया उपहति कारित करने का प्रयास करता है, या सन्तोष अवरोध करता है, या सन्तोष अवरोध करने का प्रयास करता

है, या हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या उपयोग करने की धमकी देता है या प्रयास करता है;

(दो) जो, किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने में संबद्ध रह चुका हो, अथवा जिसके विरुद्ध इस प्रकार संबद्ध रहने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों के अधीन अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसी पूर्वावधानियां किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने की दृष्टि से, जिसका संबंध ऐसी संपत्ति से है, जो परिनियोजन के स्थान से संबंधित हो या उसमें विद्यमान हो;

(तीन) जो, कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है जिसमें परिनियोजन के स्थान से संबंधित कोई कार्य करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा अन्तर्वलित हो या खतरा अन्तर्वलित होने की संभावना हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति, परिनियोजन के स्थान के परिसरों में अतिचार करता हुआ पाया जाए, तो उसे किन्हीं ऐसी अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसरों से हटाया जा सकेगा।

10. (1) जब भी बल के किसी सदस्य को यह विश्वास करने का कारण हो कि परिनियोजन के स्थान में कोई ऐसा अपराध जो कि धारा 9 में निर्दिष्ट किया गया है, कारित किया गया है या कारित किया जा रहा है और अपराधी को बच निकलने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह अपराधी को निरुद्ध कर सकेगा और उस व्यक्ति के सामान की तत्काल तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध कारित किया है, गिरफ्तार कर सकेगा।

वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.

(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं.46) के तलाशियों से सम्बन्धित उपबंध इस धारा के अधीन तलाशियों को लागू होंगे।

- गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.
11. इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बल का कोई सदस्य, इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करेगा और किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ जिनके कारण गिरफ्तारी की गई है, ऐसे व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा. ऐसी गिरफ्तारी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 58 लागू होगी।
- औद्योगिक स्थापनों को सुरक्षा संबंधी तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.
12. (1) उन साधारण निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो कि सरकार द्वारा जारी किए जाएं, पुलिस महानिदेशक के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह निजी क्षेत्र के किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबन्ध संचालक से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे औद्योगिक स्थापन को, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि विहित की जाए, सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बल के सदस्यों को निदेश दे।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त फीस ऐसी रीति में, जैसी कि विहित कि जाए, संचित निधि में जमा की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.
13. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति पर तथा जब तक कि वह बल का सदस्य बना रहता है, पुलिस अधिकारी समझा जाएगा और जब वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो अथवा उसके द्वारा वैसा निर्वहन किया जाना तात्पर्यित हो, तथा उन निबन्धनों, शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो कि विहित किए जाएं, और जहां तक कि वे इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हों, उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सम्यक् रूप से नामांकित पुलिस अधिकारी के समस्त विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होंगे और वे पुलिस अधिकारी के समान समस्त दायित्वों, शास्तियों और दण्ड के अध्यक्षीन होंगे।
- सद्भावपूर्वक की
14. बल के विरुद्ध या उसके किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध या बल

के अथवा उसके किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं की जायेगी।

गई कार्रवाई का संरक्षण.

15.

कोई भी न्यायालय, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना बल के किसी सदस्य के विरुद्ध, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के भाग में अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कृत्य के सम्बन्ध में किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का संज्ञान.

16. (1)

बल का प्रत्येक सदस्य सदैव कर्तव्य पर समझा जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर कहीं भी किसी भी समय, किसी भी स्थान पर नियोजित किया जा सकेगा।

बल के सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर समझा जाना तथा राज्य में तथा राज्य के बाहर कहीं भी नियोजित किया जा सकना.

(2)

बल का कोई भी सदस्य स्वयं को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में नहीं लगाएगा।

(3)

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 22 की उप-धारा(1), (2) एवं (3) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

17.

संविधान के अनुच्छेद 311 तथा उन नियमों के, जो कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए, उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, पर्यवेक्षण अधिकारी,-

दण्ड और अपीलें.

(एक)

बल के भर्ती किए गए किसी सदस्य को, जो अपने कर्तव्य का लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण रीति में निर्वहन करता है या जो अपने स्वयं के किसी कार्य द्वारा उसके निर्वहन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है,

निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड दे सकेगा, अर्थात्:-

- (क) जुर्माना, जो सात दिन के वेतन से अनधिक किसी भी राशि तक का हो सकेगा;
- परन्तु पर्यवेक्षण अधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों से, सात दिन के वेतन से अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा;
- (ख) ड्रिल, अतिरिक्त पहरेदारी, असैनिक सेवा या कोई अन्य कार्य;
- (ग) किसी विशिष्ट पद से हटाना या किसी विशेष परिताभ से वंचित करना;
- (घ) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि रोकना;
- (ङ) पदोन्नति रोकना;
- (च) परिनिंदा करना।

इस धारा के खण्ड (एक) के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित बल का भर्ती किया गया कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको कि उसे आदेश संसूचित हुआ है, तीस दिन के भीतर उस आदेश के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा. विहित प्राधिकारी, किसी अपील का निराकरण करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसा कि विहित की जाए:

परन्तु विहित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय-सीमा में अपील प्रस्तुत न किए जाने के पर्याप्त कारण थे, तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्बधन.

18. (1) बल का कोई भी सदस्य, शासन या विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना,-

- (क) किसी भी व्यापार संघ, मजदूर संघ, राजनैतिक दल अथवा व्यापार संघों, मजदूर संघों अथवा राजनैतिक दलों के महासंघ का सदस्य नहीं होगा अथवा उनसे किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा; या

(ख) किसी अन्य सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन का, जो कि बल के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है या जो विशुद्ध रूप से सामाजिक, आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकृति का नहीं है, सदस्य नहीं बन सकेगा या उससे किसी अन्य प्रकार से सहयुक्त नहीं हो सकेगा; या

स्पष्टीकरण.- यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन इस उप-धारा के खण्ड (ख) के अधीन विशुद्ध रूप से सामाजिक, आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं, तो ऐसी दशा में शासन का विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(ग) किसी भी प्रेस से संपर्क नहीं करेगा या कोई भी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा, सिवाय तब के जबकि ऐसी संसूचना या प्रकाशन उसके वास्तविक कर्तव्य के निर्वहन के लिए हो, या वह बिल्कुल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की हो।

(2) बल का कोई भी सदस्य किसी भी राजनैतिक प्रयोजन के लिए किसी सम्मेलन या प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उसे संबोधित नहीं करेगा।

19.

बल के किसी सदस्य की, उसके पद से निलंबित हो जाने के कारण सदस्यता समाप्त नहीं होगी और वह उस कालावधि के दौरान भी उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अध्यधीन होगा जिनके अध्यधीन वह कर्तव्यारूढ़ होने की दशा में होता।

निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व.

20. (1)

प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो, किसी कारण से भर्ती किया गया बल का सदस्य नहीं रह जाता है, अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, आयुध, साजसज्जा, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं, जो उसे बल के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हों, किसी ऐसे पर्यवेक्षक अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त हो।

बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण.

(2) कोई व्यक्ति जो, उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित वस्तुओं का अभ्यर्पण करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है अथवा अभ्यर्पण करने से इंकार करता है, आर्थिक फायदों के समपहरण और विधि के अधीन अभियोजन का दायी होगा।

(3) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी जो कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के अधीन, उस व्यक्ति

- की, जिसे वह दी गई हो, संपत्ति हो गई हो।
- बल के सदस्यों को अधिनियम, 1922 का लागू होना.
21. पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) अधिनियम, 1922 (1922 का 22) बल के सदस्यों को उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वह पुलिस बल के सदस्यों को लागू होता है।
- छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968, नियम/ शर्तों का बल के सदस्यों को लागू होना.
22. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों पर छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968, नियम/शर्तों लागू होंगी।
- कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना.
23. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में अंतर्विष्ट कोई भी बात, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उसके उपबंधों के सिवाय बल के सदस्यों को लागू नहीं होगी।
- नियम बनाने की शक्ति.
24. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे,-
- (क) बल के सदस्यों के वर्गों, पंक्तियों, श्रेणियों, तमगों, वेतन और पारिश्रमिक का तथा बल में उनकी सेवा शर्तों का विनियमन;
- (ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कृत्य करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन;
- (ग) बल के सदस्यों के लिए सेवा की कालावधि नियत करना;
- (घ) बल के सदस्यों को दिए जाने वाले आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रकार और उनकी मात्रा विहित करना;
- (ङ) बल के सदस्यों के निवास स्थान विहित करना;
- (च) बल के प्रशासन से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए, किसी निधि की

संस्थापना, उसका प्रबंध और विनियमन;

- (छ) दण्डों का विनियमन और वे प्राधिकारी विहित करना जिन्हें दण्ड के, अथवा जुर्माने या अन्य दण्ड के परिहार के आदेशों से अपीलें की जाएंगी और ऐसी अपीलों को निपटाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ज) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि अध्याधीन रहते हुए वल के सदस्यों को धारा 8 के अधीन परिनियोजित किया जा सकेगा और उसके लिए प्रभार;
- (झ) अग्न्यायुधों का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश विहित करना;
- (ञ) किराए पर लेने वाली संस्थाओं के साथ संबंध बनाए रखने के लिए मानक विहित करना।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा.

25.

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मई 2025

क्रमांक 4206/डी. 67/21-अ/प्रा.रू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2025)

**THE CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE
ACT, 2025.**

CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of the Force.
4. Deputation of enrolled members of the Force.
5. Certificates of members of the Force.
6. Superintendence/Supervision, Control and Administration of the Force.
7. Duties of members of the Force.
8. Deployment of the Force.
9. Power to arrest without warrant.
10. Power to search without warrant.
11. Procedure to be followed after arrest.
12. Provision for providing security related technical consultancy services to industrial establishments.
13. Members of the Chhattisgarh State Industrial Security Force to have same privileges and liabilities as a Police Officer.
14. Protection of action taken in good faith.
15. Cognizance of offences.
16. Members of the Force to be considered always on duty and liable to be deployed anywhere in the State and outside also.
17. Punishments and appeals.
18. Restrictions respecting right to form associations etc.

19. Responsibilities of member of the Force during suspension.
20. Surrender of certificate, arms, etc. by persons ceasing to be members of the Force.
21. Application of the Act, 1922 to the members of the Force.
22. Applicability of Chhattisgarh Vishesh Sashastra Bal Adhinyam, 1968, rules/conditions to the members of the Force.
23. Certain Acts not to apply to the members of the Force.
24. Power to make rules.
25. Power to remove difficulties.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2025)

**THE CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE
ACT, 2025.**

An Act to provide for the constitution and regulation of an armed force of the State for protection and security of industrial establishments, industrial undertakings, private industrial undertakings or institutions, commercial and financial institutions, power generating stations, refineries, places of religious importance, archaeological and heritage sites, airports and helipads, National or State Highways, Government buildings, metro network, autonomous bodies, Government installations, Central and State institutions and to provide security related technical consultancy services to industrial establishments in the private sector and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India, as follows:-

- | | |
|--|--|
| Short title,
extent and
commencement. | <p>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh State Industrial Security Force Act, 2025.</p> <p>(2) It extends to whole State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> |
| Definitions. | <p>2. In this Act, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) "Autonomous Body" means an institution acting independently or having the freedom to do so;</p> <p>(b) "Cognizable Offence" has the meaning assigned to it in clause (g) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No.46 of 2023);</p> |

- (c) "**Director General of Police**" means the Director General of Police, Chhattisgarh;
- (d) "**Enrolled Member of the Force**" means any subordinate officer, under officer or any other member of the Force of a rank not lower than that of an under officer;
- (e) "**Force**" means the Chhattisgarh State Industrial Security Force constituted under Section 3;
- (f) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;
- (g) "**Industrial Establishment**" means any industrial undertaking or a company as defined under Section 3 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) or a firm registered under Section 59 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932), which is engaged in any industry or in any trade, business or service;
- (h) "**Industrial Undertaking**" means an undertaking pertaining to a scheduled industry and includes an undertaking engaged in any other industry or in any trade, business or service which may be regulated by law made by the Parliament or Legislature of the State;
- (i) "**Industrial Undertaking in Public Sector**" means an industrial undertaking owned, controlled or managed by,-
- (i) a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);
 - (ii) a corporation established by or under

a State Act, which is controlled or managed by the Government.

- (j) "**Joint Venture**" means a venture jointly undertaken by the State Government with a private industrial undertaking;
- (k) "**Managing Director**" in relation to an industrial undertaking means, the person (whether called a Managing Agent, General Manager, Manager, Chief Executive Officer or by any other name) who exercises control over the affairs of that undertaking;
- (l) "**Member of the Force**" means a person appointed to the Force under this Act;
- (m) "**Place of Deployment**" means industrial establishments, industrial undertakings, private industrial undertakings or institutions, commercial and financial institutions, power generating stations, transmission and distribution company, refinery, places of religious importance, archaeological and heritage sites, airports and helipads, National or State Highways, Government buildings, metro network, autonomous bodies, Central and State institutions, strategic vital installations etc. for whose protection and security the Force may be deployed under the provisions of this Act;
- (n) "**Prescribed**" means prescribed by rules made under this Act;
- (o) "**Private Industrial Undertaking**" means an industry owned, controlled or managed by a person other than the Central or

State Government or any industrial undertaking in public sector;

- (p) "**Scheduled Industry**" means any industry engaged in the manufacture or production of the articles mentioned in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (No. 65 of 1951);
- (q) "**Strategic and Vital Installation**" means all such essential and vulnerable points or areas requiring special protection, as may from time to time be specified by the Government;
- (r) "**Sub-ordinate Officer**" means a person appointed to the Force as a Company commander, a Platoon Commander or an Assistant Platoon Commander;
- (s) "**Supervisory Officer**" means any officer appointed under Section 6 and includes any other officer appointed by the State Government as a supervisory officer of the Force;
- (t) "**Under Officer**" means a person appointed to the Force as a Head Constable or Constable;
- (u) "**Recruit**" means a person appointed to the force of deputation.

3. (1) There shall be constituted and maintained by the State Government an armed force to be called the Chhattisgarh State Industrial Security Force for the protection and security of place of deployment and to perform such other duties as may be entrusted to it by the

**Constitution of
the Force.**

State Government.

The State Government or any officer authorised by the Government in this behalf,-

- (a) may divide the State Industrial Security Force into teams,
 - (b) may divide each team into battalions, each battalion into companies, each company into platoons and the platoon into sections,
 - (c) may post any team, battalion, company, platoon or section at such places which may appear appropriate to the State Government or the Officer authorised by the State Government.
- (2) The Force shall consist of such number of supervisory officers and enrolled members who shall receive such pay and other remuneration as may be prescribed:
- Provided that nothing in this subsection apply to the pay, allowances and other service conditions of members of the Indian Police Service.
- (3) The headquarters of the Force shall be at Nava Raipur, Atal Nagar or at such other place as may be specified by the Government, from time to time.

**Deputation of
enrolled members
of the Force.**

4. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Chhattisgarh Vishesh Sashastra Bal Adhiniyam, 1968 (No. 29 of 1968) and the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government or the Director

General of Police shall be competent to depute members of the Chhattisgarh Armed Force and Chhattisgarh Police Force appointed under the CG Vishesh Sashastra Bal Adhiniyam, 1968 (No. 29 of 1968) and the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) to the Chhattisgarh State Industrial Security Force, if he is authorised to do so by the State Government.

- (2) The deputation of force in Chhattisgarh State Industrial Security Force will not be made in excess of the posts (setup) sanctioned by the State Government.
- (3) Any member of the force can be repatriated to his/her parent unit without assigning any reasons.

5. (1) Every enrolled member of the Force shall receive on his appointment a certificate in the form prescribed, under the seal and signature of the Director General of Police or such other supervisory officer as the Director General of Police may specify in this behalf and the person holding such certificate shall be vested with the powers of an enrolled member of the Force.

Certificates of members of the Force.

- (2) Such certificate shall automatically expire whenever the person in whose favour it is issued, ceases for any reason, to be an enrolled member of the Force.

6. (1) The Director General of Police shall be the principal administrative officer of the Force subject to overall control of the Government. He shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

Superintendence/ Supervision, Control and Administration of the Force.

- (2) Subject to the provisions of sub-section (1), the administration of the Force within such local limits as may be prescribed, shall be carried on by the Special Director General of Police, Additional Director General of Police, Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police, Assistant Inspector General of Police or Commandant, Deputy Commandant and Assistant Commandant in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder and every supervisory officer placed in charge of the protection and security of places of deployment in the State, shall function on such terms and conditions as may be prescribed and shall subject to any direction that may be given by the Government or the Director General of Police in this behalf, discharge his functions in co-ordination with the authority in charge of such place of deployment.
- (3) The State Government may appoint the Director General of Police and such other officers not below the rank of Assistant Commandant as supervisory officers who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

**Duties of
members of the
Force.**

7.

It shall be the duty of every officer and member of the Force,-

- (i) to obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior officer;
- (ii) to protect and safeguard the premises, their establishments and assets of the place of deployment and any installations attached thereto;

- (iii) to protect and safeguard the employees and officers of the place of deployment as referred to in clause (ii);
- (iv) to do any other act conducive to the protection and security of the place of deployment referred to in clause (ii) and the employees and officers referred to in clause (iii);
- (v) to aid and assist the local police force, on its arrival consequent to a law and order situation in and around the place of deployment.

8. (1) Subject to any general direction of the Government and the recovery of charges of the force on such terms and conditions as may be prescribed, it shall be lawful for the Director General of Police on a request received in this behalf from the authority in charge of the place of deployment showing the necessity thereof, to deploy such number of the members of the Force as the Director General of Police may consider necessary for the protection and security thereof and any installations attached thereto and the member of the Force so deployed shall be under the charge of such officer or authority as specified by the Director General of Police or any other officer on his behalf:

**Deployment of
the Force.**

Provided that in the case of an establishment, institution, autonomous body, undertaking, strategic or vital installation controlled or managed by a Company in which the State Government does not have an interest, no such request shall be considered without the approval of the

Government.

- (2) If the Director General of Police is of the opinion that the circumstances necessitating the deployment of the members of the Force in relation to any place of deployment under sub-section (1) have ceased to exist, he may, by giving one month's prior notice to the concerned undertaking, recall the members of the Force so deployed.
- (3) Every member of the Force while discharging his functions during the period of deployment in an establishment, institution, autonomous body, undertaking, strategic or vital installation controlled or managed by a Company in which the Government does not have an interest, shall exercise the same powers and be subject to the same responsibilities, discipline and penalties under this Act as he would have been, if he had been discharging those duties in relation to an establishment, an institution, an autonomous body and industrial undertaking or strategic and vital installations of the Government.

**Power to arrest
without warrant.**

9. (1) Any member of the Force may without a warrant, arrest any person,-

- (i) who voluntarily causes hurt or attempts to voluntarily cause hurt, or wrongfully restrains or attempts to wrongfully restrain or assaults, or threatens to assault, or uses, or threatens or attempts to use criminal force to any employee or officer referred to in clause (iv) of Section 7, or to him or any other member of the

Force in discharge of his duty as such employee or in execution of his duty as such member, as the case may be or with intent to prevent or to deter him from discharging his duty as such member or in consequence of anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty as such member;

(ii) who has been concerned in, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in commission of a cognizable offence or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offence which relates to property belonging to, or existing in the place of deployment;

(iii) who commits or attempts to commit a cognizable offence which involves or which is likely to involve danger to the life of any person engaged in carrying on any work relating to the place of deployment.

(2) If any person is found trespassing on the premises of the place of deployment he may, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be removed from such premises by any member of the Force.

- Power to search without warrant.** 10. (1) Whenever any member of the Force, has reason to believe that any such offence as is referred to in Section 9 has been or is being committed in the place of deployment and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escaping or concealing evidence of the offence, he may detain the offender and search person and his belongings forthwith and if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence.
- (2) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) relating to searches shall apply to searches under this Section.
- Procedure to be followed after arrest.** 11. Any member of the Force making an arrest under this Act immediately take over the person so arrested to a police officer and in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken to the nearest police station together with a report of the circumstances occasioning the arrest. Section 58 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) will apply to such arrest.
- Provision for providing security related technical consultancy services to Industrial establishments.** 12. (1) Subject to any general direction which may be issued by the Government, it shall be lawful for the Director General of Police on a request received from the Managing Director of any industrial establishment in the private sector or any other person authorized by him in this behalf, to direct the members of the Force to provide security related technical consultancy services, to such industrial

establishment in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

- (2) The fee received under sub-section (1) shall be credited to the Consolidated Fund in such manner as may be prescribed.

13. Every member of the Chhattisgarh State Industrial Security Force shall upon his appointment and as long as he continues to be a member thereof, be deemed to be a police officer and subject to any terms, conditions and restrictions as may be prescribed, to have and be subject to, in so far as they are not inconsistent with any provision of this Act or any rules made thereunder, all the privileges and protection and all the liabilities, penalties and punishments as a police officer duly enrolled is by virtue of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), or any other law for the time being in force while discharging or purporting to discharge his duties under this Act and the rules made thereunder.

Members of the Chhattisgarh State Industrial Security Force to have same privileges and liabilities as a Police Officer.

14. No suit or proceeding shall be entertained by any Court against the Force or against any officer or member thereof or against any person acting under the order or direction of the Force or any officer or member thereof for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

15. No court shall take cognizance of an offence against any member of the Force with regard to any act done by him while discharging or purporting to act in the discharge of his duty

Cognizance of Offence.

except with the prior sanction of the Government.

Members of the force to be considered always on duty and liable to be employed anywhere in the State and outside also.

16. (1) Every member of the Force shall be considered to be always on duty and shall, at any time, be liable to be employed at any place within the State of Chhattisgarh and outside also.

(2) No member of the Force shall engage himself in any employment or office other than his duties under this Act.

(3) Sub-section (1), (2) and (3) of Section 22 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13, of 2007) shall not apply to the members of the Chhattisgarh State Industrial Security Force.

Punishments and 17. appeals.

Subject to the provisions of Article 311 of the Constitution and to such rules as the State Government may make under this Act, supervisory officer may,-

(i) award any one or more of the following punishments to any enrolled member of the Force who discharges his duty in a careless or negligent manner, or who by any act of his own renders himself unfit for the discharge thereof, namely:-

(a) fine, which may extend to any amount not exceeding seven days' pay or reduction in pay:

Provided that the supervisory officer may, for special reasons to be recorded in writing, impose a fine exceeding seven days' pay;

- (b) drill, extra guard, fatigue or other duty;
- (c) removal from any office of distinction or deprivation of any special emolument;
- (d) withholding of increment without cumulative effect;
- (e) withholding of promotion;
- (f) censure.

any enrolled member of the Force aggrieved by an order made under clause (i) of this section may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal against the order to such authority as may be prescribed. In disposing of an appeal, the prescribed authority shall follow such procedure as may be prescribed:

Provided that the prescribed authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

18. (1) No member of the Force shall without the prior sanction in writing of the Government or of the prescribed authority,-

**Restrictions
respecting right
to form
associations etc.**

- (a) be a member of, or be associated in any way with any trade union, labour union, political party or with any association or confederation of trade unions, labour unions or political parties; or
- (b) be a member of, or be associated in any way with, any other society, institution, association or organization that is not recognized as part of the Force or is not of a purely social, recreational or religious nature; or

Explanation.- If any question arises as to whether any society, institution, association or organization is of purely social, recreational or religious nature under clause (b) of this sub-section, the decision of the Government thereon shall be final.

- (c) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except where such communication or publication is in the bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character.

- (2) No member of the Force shall participate in or address, any meeting or take part in any demonstration for any political purpose.

Responsibilities 19.
of member of the
Force during
suspension.

A member of the Force shall not by reason of his suspension from office, cease to be a member of the Force and he shall, during that period, be subject to the same responsibilities, discipline and penalties as he would have been, if he was on duty.

20. (1) Every person who for any reason ceases to be an enrolled member of the Force, shall forthwith surrender to any supervisory officer empowered to receive the same, his certificate of appointment, the arms, accoutrements, clothing and other articles which had been furnished to him for the performance of his duties as an enrolled member of the Force.
- (2) Any person who wilfully neglects or refuses to surrender the articles as required by subsection (1) shall be liable for forfeiture of financial benefits and prosecution under the law.
- (3) Nothing in this Section shall be deemed to apply to any article which under the orders of the Director General of Police, has become the property of the person to whom the same was furnished.
21. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (No. 22 of 1922) shall apply to members of the Force as it applies to members of the Police Force.
22. The terms/conditions of the Chhattisgarh Vishesh Sashastra Bal Adhinyam, 1968 will be applicable to the members of Chhattisgarh State Industrial Security Force.
23. Nothing contained in the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936) or the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) or the
- Surrender of certificate, arms etc. by persons ceasing to be members of the Force.**
- Application of Act, 1922 to the members of the Force.**
- Applicability of Chhattisgarh Vishesh Sashastra Bal Adhinyam, 1968, rules/conditions to the members of the Force.**
- Certain Acts not to apply to the members of the**

Force.

Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), except the provisions thereof relating to health and safety, shall apply to members of the Force.

Power to make rules.

24. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for,-

(a) regulating the classes, ranks, grades, insignia, pay and remuneration of members of the Force and their conditions of service;

(b) regulating the powers and duties of members of the Force authorized to exercise any function by or under this Act;

(c) fixing the period of service for members of the Force;

(d) prescribing the description and quantity of arms, accoutrements, clothing and other necessary articles to be furnished to the members of the Force;

(e) prescribing the places of residence of members of the Force;

(f) institution, management and regulation of any fund for any purpose connected with the administration of the Force;

(g) regulating the punishments and prescribing authorities to whom appeals may be preferred from orders of

punishment, or remission of fines or other punishments and the procedure to be followed for the disposal of such appeals;

(h) the terms and conditions subject to which members of the Force may be deployed under Section 8 and the charges therefore;

(i) prescribing the guidelines for use of fire arms;

(j) prescribing the norms to maintain relationship with hiring institutions.

(3) Every rule made under this Section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State.

25.

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.